(105)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

PBR/निग./इन्दौर/भू.रा./2017/1863

1. श्रीमती जानकीबाई पति देवनारायण चौहान
2. दीपककुमार पिता देवनारायण चौहान
3. जितेन्द्र पिता देवनारायण चौहान
4. गणेश पिता देवनारायण चौहान
5. सत्यनारायण पिता देवनारायण चौहान

निवासी– ग्राम बांक तह. व जिला इन्दौर ––प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल खालिक
निवासी– ग्राम बांक तह. व जिला इन्दौर ––प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, राऊ के प्रकरण क्रमांक 81 / अ–70 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 9 / 05 / 2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

रेस्पांडेंट द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 म.प्र. भू.रा.संहिता का आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि सर्वे नंबर 92/5, 93, 96, रकबा 0.061, 0.178, 0.146 हेक्टेयर भूमि पर देवनारायण पिता जगन्नाथ का अनाधिकृत कब्जा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में,

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ जानकी/अब्दुल गफ्फार

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/1863 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा है या नहीं ? इसका निर्णय साक्ष्य के उपरांत ही हो सकेगा । तहसीलदार का उपरोक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	